अतः विधवाओं के लिए भजन को सम्मानित रोजगार मानकर उन्हें न्यूनतम निर्वाह मजदूरी निश्चित रूप से दिलाई जाए। विधवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण एवं बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाए। उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। स्त्री को पति की पैतृक एवं व्यक्तिगत संपत्ति में उसके पति के जीवन काल में ही हिस्सेदारी दी जाए जिससे विधवा होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा मिल सके। साथ ही पति के अनुपस्थिति की स्थिति में उसे मकान में रहने का भी अधिकार दिया जाए। विधवा आश्रमों में आने वाली 85 से 95 प्रतिशत तक विधवाएं बंगाल से आती हैं इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार से कानून बनाकर उनके घर से बाहर आने को रोकने का आग्रह किया जाए तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने को कहा जाए। विधवा आश्रमों में महिलाओं को राशन एवं निर्वाह राशि भजन गाने के घंटों को शर्तों से न जोड़ा जाए बल्कि उन्हें बाजार की कीमतों के आधार पर मजदूरी दी जाए। विधवाएं इन आश्रमों में इसलिए आती हैं क्योंकि वे संविधान और सरकार द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को उनके अधिकारों की शिक्षा एक विषय में दी जाए। यह शिक्षा हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाए।

मैं आशा करती हूं कि सरकार तत्काल इस संबंध में एक जांच आयोग बैठाकर विधवा आश्रमों की जांच कराए तथा उपरोक्त सुझावों पर कारगर ध्यान दे जिससे विधवाओं को नारकीय जिन्दगी से मुक्ति मिल सके।

Stoppage of pension to Veteran freedom fighter Pandit D. N. Tiwari

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदया, देश इस वर्ष स्वाधीनता की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारी स्वाधीनता उन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का पुण्य फल है जो विदेशी साम्राज्य से जूझे, फांसी के तख्तों पर चढ़े और बरसों तक जेल में सड़े। लेकिन इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? अभी एक घटना मेरे ध्यान में लाई गई है जो बड़ी दुखदाई है। बिहार के जाने-माने स्वतंत्रता सैनानी पण्डित द्वारका नाथ तिवारी, जो कई बार जेल गए, संसद के सदस्य भी रहे है, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का सदस्य होने का भी उन्हें सम्मान मिला था, उनकी पेंशन, जो उन्हें स्वतंत्रता के सैनानी के नाते मिलती थी, वह बंद कर दी गई है और यह आदेश जारी किया गया है 6 जुलाई, 1988 को। इस आदेश को जारी करने वाले हैं कोई श्री शिवानन्द, अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय। इस आदेश को मैं उद्धृत कर सकता हूं। इस आदेश में कहा गया है कि "मुझे इस मंत्रालय की तारीख 11-09-84 के पत्र संख्या 144/6-138015/84-एफ एफ-बिहार का हवाला देने का निर्देश हुआ है जिसके द्वारा श्री द्वारका नाथ तिवारी, पुत्र श्री नन्द किशोर तिवारी, ग्राम भैरोंपुर, पोस्ट दिघवाड़ा, जिला सारन को 300 रुपए की पेंशन मंजूर की गई थी। मुझे यह भी कहने का आदेश हुआ है कि समीक्षा करने के बाद राष्ट्रपति पूर्व प्राप्ति सहित 300 रुपए, केवल 300 रुपए, की पेंशन जिस तारीख से मंजूर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

की गई थी, उसे रद्द कर दिया जाता है।"

इस आदेश की प्रतिलिपि मेरे पास है। इस पर तिवारी जी की प्रतिक्रिया क्या होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा है, मैं वह भी उद्धृत करना चाहता हूं :

"आज जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं उनमें दो चार ही मेरे समान स्वतंत्रता सेनानी होंगे। मैंने सन् 1920 से लेकर 1942 तक हर स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर जेलों की यात्रा की। मेरे जेल जीवन की अवधि पांच साल से ऊपर है। इसका प्रमाण सरकार प्राप्त कर चुकी है।"

तिवारी जी ने कहा है कि मैं इस मामले को सदन में उठाऊं। मैंने तिवारी जी को उत्तर यह दिया है कि अवश्य यह किसी गलतफहमी के कारण आपको आदेश मिल गया है। हो सकता है किसी और द्वारिकानाथ तिवारी की पेंशन सरकार रद्द करना चाहती थी और हो गई आपकी। अंधेर नगरी में ऐसे मामले होते हैं, महोदया। लेकिन अगर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी पंडित द्वारिका नाथ तिवारी की पेंशन नामंजूर की गई है तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि सारा सदन इस संबंध में अवश्य ही अपनी रुचि दिखाए और मुझे खुशी है कि गृह राज्य मंत्री श्री देव यहां विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस सदन को आश्वासन दें कि इस मामले की जांच की जाएगी और सदन उठने से पहले सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करके यह देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है और यह सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को बेइज्जत करके टिकी नहीं रह सकती है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : महोदया, यह बहुत गलत बात हुई है। बिहार की होने के नाते मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, जैसा अभी वाजपेयी जी ने कहा, इस देश का दुर्भाग्य है कि देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न तरीके से बदनाम किया जा रहा है। जैसे मैंने पिछले दिन कहा था कि चन्द्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया तो उनके बलिदानों को भुला देने का यह गहरा षड्यंत्र है। अभी श्री द्वारिकानाथ तिवारी के साथ यह अन्याय हुआ है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं कि वे देशभक्त रहे है, मैंबर पार्लियामेंट रहे हैं। मैंने अटल जी से सुना उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने फोन पर कांटेक्ट किया, मैं सुन रहा था जब वे बात कर रहे थे। यह गहरी कांसिपिरेसी है देशभक्तों को दूर करने की। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और तिवारी जी को पेंशन तुरंत चालू करा देनी चाहिए, यही अच्छा होगा।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV) : Madam, when hon. Mr. Vajpayee has raised this very important issue, I fully believe that what he has stated is correct. The other Members of this House have also said it. I am extremely sorry for what has happened. It might be because of some confusion. But I regret for this and I will see that this is restored. I assure the hon. Members.